उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-9/2016/2/1/97/का-2/2016

लखनऊ :: दिनांक 12 सितम्बर, 2016

अधिसूचना संख्या-9/2016/2/1/97/का-2/2016, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-9/2016/2/1/97-का-2/2016

लखनऊ, दिनांक: 12 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016

संक्षिप्त और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

जहाँ यह नियमावली विनियमितीकरण के लिये लागू न होगी

2. यह नियमावली निम्नलिखित के विनियमितीकरण के लिए लागू नहीं होगी:

(एक) मौसमी संग्रह अमीन/मौसमी चपरासी;

(दो) उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग और ऐसे समरूप विभागों में मौसमी कार्यों के लिये लगे हुए/नियोजित/परिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(तीन) राज्य सरकार की योजनाओं/ परियोजनाओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में समेकित वेतन/नियत मानदेय पर लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(चार) होम गार्ड स्वयंसेवक और प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवक के रूप में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(पॉच) शिक्षा मित्र और किसान मित्र के रूप में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(छः) मनरेगा योजना (ग्राम्य विकास विभाग) के अधीन लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(सात) आंगनबाड़ी केन्द्र (महिला एवं बाल कल्याण विभाग) में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(आठ) आशा बहू (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के रूप में लगे हुए/नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों;

(नौ) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

अध्यारोही प्रभाव

3. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

4. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो -

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य समूह 'ग' या समूह 'घ' के किसी पद के सम्बन्ध में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) 'संविधान का तात्पर्य' भारत का संविधान से है;

(ग) 'संविदा' का तात्पर्य दो या अधिक पक्षों के मध्य पारस्परिक बाध्यताओं के साथ विधिक रूप से प्रवर्तनीय अनुबंध से है;

(घ) 'दैनिक मजदूरी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के दैनिक वेतन से है जो दिन प्रतिदिन के किसी आकस्मिक कार्य पर लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित हो और जिसकी मजदूरी/पारिश्रमिक की गणना उसके द्वारा किये गये कार्यों के दिनों के आधार पर की जाती हो;

(ड़) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) 'कार्य-प्रभार' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के कार्य-प्रभार से है जो अस्थायी स्थापना या इस प्रकृति के कार्य पर नियोजित हो, जिसका वेतन, तत्समय उस कार्य के आधार पर, जिसमें वह लगाया गया हो, प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया जाता है।

उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण किया जायेगा

5. नियम 2 के उपबन्धों के अध्यधीन, इस नियमावली के अधीन किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तब, जब भी आवश्यक हो सरकार के अनुमोदन से कोई अधिसंख्य पद सृजित किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

विनियमितीकरण **6.**(1) किसी व्यक्ति को -

(एक) जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर, 2001 को या उससे पूर्व समूह 'ग' या समूह 'घ' के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक वेतन/मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो; और

(दो) जो सुसंगत सेवा नियमावली और उपरिलिखित नियम 2 और 5 के उपबन्धों के अध्यधीन दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर ऐसे विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो;

समूह 'ग' या समूह 'घ' के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हों, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में सुसंगत सेवा नियमावली या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियों करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत उपबन्धों के अनुसार एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उप-नियम (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि दैनिक मजदूरी पर, कार्य-प्रभार पर या संविदा पर विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के दिनांक से अवधारित हो और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ लगे हों या नियोजित हो या अभिनियोजित हों तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची को उनकी चरित्रपंजियों और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए विचारार्थ आवश्यक हों, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप-नियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी करेगी।

(6) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता-क्रम में रखते हुए एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियुक्तियाँ

7. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 6 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन उक्त नियम के उप-नियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

नियुक्तियों को सुसंगत सेवा नियमावली आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा

8. इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियाँ सुसंगत सेवा नियमावली या आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेंगी।

ज्येष्ठता

9. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार विनियमितीकरण के लिए चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उनकी परस्पर जयेष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायगी।

सेवा की समाप्ति

10. ऐसे व्यक्ति की सेवाएं जो दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहा हो और जो इस नियमावली के अधीन विचार किये जाने के पश्चात् उपयुक्त न पाया जाय, तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

अपवाद

11. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी विभाग में दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के विनियमितीकरण के लिए किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गयी है वहाँ सम्बन्धित विभाग मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।

विनियमितीकरण अधिकार का विषय नहीं

12. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा अधिकार के विषय के रूप में विनियमितीकरण के लिए दावा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

निरसन और व्यावृत्तियॉ

13. (1) उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 और उत्तर प्रदेश समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियमों के अधीन इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी नियुक्तियॉं, इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेंगी मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.9/2016/ 2/1/97-Ka-2-2016, dated 12 September, 2016:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2
NOTIFICATION
Miscellaneous
No.9/2016/ 2/1/97-Ka-2-2016

Dated, Lucknow, 12 September, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF PERSONS WORKING ON DAILY WAGES OR ON WORK CHARGE OR ON CONTRACT IN GOVERNMENT DEPARTMENTS ON GROUP 'C' AND GROUP 'D' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) RULES, 2016

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Regularisation of Persons Working On Daily Wages or On Work Charge or On Contract In Government Departments On Group "C" And Group "D" Posts (Outside The Purview Of The Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

Where these rules shall not apply for regularisation

2. These rules shall not apply for regularisation of :

(i) Seasonal Collection Ameen/Seasonal Peon;

(ii) Person/Persons engaged/employed/deployed for seasonal works in Horticulture Department, Agriculture Department, Agriculture Education Department and such similar Departments;

(iii) Person/Persons engaged/employed/deployed on consolidated pay/ fixed honoraria in the schemes/projects of State Government or Government of India sponsored programmes;

(iv) Person/Persons engaged/employed/deployed as Home Guard Volunteer and Prantiya Rakshak Dal Volunteer;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(v) Person/Persons engaged/employed/deployed as Shiksha Mitra and Kisan Mitra;

(vi) Person/Persons engaged/employed/deployed under MNREGA Scheme (Rural Development Department);

(vii) Person/Persons engaged/employed/deployed in Aaganbadi Kendra (Women and Child Welfare Department);

(viii) Person/Persons engaged/employed/deployed as Asha Bahu (Medical, Health and Family Welfare Department);

(ix) Such person/persons or group of persons as notified by the State Government from time to time.

Overriding effect

3. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders for the time being in force.

Definitions

4. Unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "Appointing Authority" in relation to a Group 'C' or Group 'D' Post means the authority empowered to make appointment on such post under the relevant Service Rules or the executive instructions issued by the Government, as the case may be;

(b) "Constitution" means the Constitution of India;

(c) "Contract " means legally enforceable agreement between two or more parties with mutual obligations;

(d) "Daily Wages" means a person who is engaged or employed or deployed on a casual work on day to day basis and whose wages/remuneration is calculated on the basis of the days he has worked;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) "Work Charge" means a person of temporary establishment or employed on the work of this nature, whose pay, for the time being, is charged directly on the work on which he is engaged.

Regularisation to be made on available vacant post

5. Subject to the provisions of rule 2, regularisation under these rules shall be done on available vacant post in a Government Department:

Provided that if vacant post is not available then, as and when required, a supernumerary post may be created with the approval of the Government.

Regularisation

6. (1) Any person who-

(i) was directly engaged or employed or deployed or working on daily wages or on work charge or on contract in a Government Department on Group 'C' or Group 'D' post (outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) on or before December 31, 2001 and is still engaged or employed or deployed or working as such on the date of the commencement of these rules; and

(ii) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

for that post at the time of such engagement or employment or deployment on daily wages or on work charge or on contract, under the relevant service rules and, subject to the provisions of above mentioned rules 2 and 5,

shall be considered for regular appointment on Group 'C' or Group 'D' post (outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) in permanent or temporary vacancy as may be available on the date of the commencement of these rules, on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.

(2) In making regular appointments under these rules, reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories, shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, and the Uttar Pradesh Public Services(Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of regularisation under these rules.

(3) For the purpose of sub-rule (1), the appointing authority shall constitute a Selection Committee in accordance with the relevant provisions of service rules.

(4) The appointing authority shall, having regard to the provisions of sub-rule (1), prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority as determined from the date of engagement or employment or deployment on daily wages, on work charge or on contract and, if two or more persons are engaged or employed or deployed together, from the order in which their names are arranged in the said engagement or employment or deployment order. The list shall be placed before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other relevant records, pertaining to them, as may be considered necessary to assess their suitability.

(5) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of their records, referred to in sub-rule (4), and if it considers necessary, it may interview the candidates also to assess their suitability.

(6) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranging their names in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

Appointments — **7.** The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rule(2) of rule 6, make appointments from the list prepared under sub-rule(6) of the said rule, in the order in which their names stand in the list.

Appointments be deemed to be under the relevant service rules etc. — **8.** Appointments made under these rules shall be deemed to be appointments under the relevant service rules or orders, if any.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Seniority **9.** (1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date of order of appointment after selection for regularisation in accordance with these rules and shall, in all cases, be placed below the persons appointed in accordance with the relevant service rules or, as the case may be, the regular prescribed procedure, prior to the appointment of such person under these rules.

(2) If two or more persons are appointed together their seniority *inter se* shall be determined in the order mentioned in the order of appointment.

Termination of services **10**. The services of a person who is working on daily wages, or on work charge or on contract and who is not found suitable, after consideration under these rules, shall be terminated forthwith and, on such termination, he shall be entitled to receive one month's wages.

Exceptions **11**. Notwithstanding anything contained in these rules, where any scheme for regularisation of a person/persons working on daily wages or on work charge or on contract in any Government Department has been presented before any Court in pursuance of an order of the Court, the concerned Department shall obtain the orders of the Court in the matter and shall act accordingly.

Regularisation not a matter of right **12.** Notwithstanding anything contained in these rules, the person/persons working on daily wages or on work charge or on contract, shall have no claim for regularisaiton as a matter of right.

Repeal and savings **13.** (1) The Uttar Pradesh Regularistion of Daily Wages Appointment on Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 1998 and the Uttar Pradesh Regularisation of Daily Wages Appointments on Group 'D' Posts Rules, 2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, appointments made under the rules referred to in sub-rule(1), prior to the commencement of these rules, shall be deemed to have been made under these rules as if the provisions of these rules were in force at all material times.

By order,
Kishan Singh Atoria
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।